

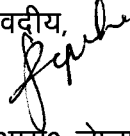
कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या:-1833 / 1जी-FP/UK/ROAD/16239/2015 देहरादून: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2015

सेवा में,  
अपर सचिव, वन  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-  
4.957 है0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/16239/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  


(एस0टी0एस0 लेप्चा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/ 16239 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, चमोली।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)  
परियोजना का नाम:

जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-4.957 है०  
वन भूमि हस्तान्तरण **FP/UK/ROAD/16239/2015**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग में 2.975 है० वन पंचायत भूमि, 1.982 है० राजस्व वन भूमि कुल 4.957 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 26/12/2015

स्थान : देहरादून